छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010
(फाल्गुन-26, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 10 मार्च, 2010 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 08 तथा 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 10, 12 से 16, 19 एवं 21 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 02, 11, 17, 18 एवं 20 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नारायण चंदेल, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, श्री दयालदास बघेल एवं श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह अनुपस्थित रहे। प्रश्न संख्या 15 पर श्री रविन्द्र चौबे की अनुपस्थिति में श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 13 की चर्चा के दौरान मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने राजधानी रायपुर में मोबाईल कम्पनियों द्वारा अवैध टॉवर लगाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में सड़कों व पुल-पुलियों का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री नारायण चंदेल
(3) मोहम्मद अकबर
(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज
(5) श्री भोलाराम साहू

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री राजूसिंह ठाकुर, सदस्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन,

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सभापति ने लोक लेखा समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकचालीसवां, ब्यालीसवां, तैतालीसवां, चौवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां एवं पचासवां,

(3) श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन, तथा

(4) श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन, प्रस्तुत किये।

7.वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय वन मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री सेवकराम नेताम, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामजी भारती, धर्मजीत सिंह, खेदूराम साहू, हृदयराम राठिया, संतोष बाफना, भजन सिंह निंरकारी, दूजराम बौद्ध, लखमा कवासी, सौरभ सिंह, कुलदीप सिंह जुनेजा।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री अग्नि चंद्राकर, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री भोलाराम साहू, श्री दूजराम बौद्ध, **मांग संख्या-40 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-45 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-57 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-75 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-44 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री भोलाराम साहू, चैतराम साहू, हृदय राम राठिया, दूजराम बौद्ध, **मांग संख्या-46 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री भोलाराम साहू, **मांग संख्या-47 पर** सर्वश्री नंदकुमार पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अग्नि चंद्राकर, हृदय राम राठिया, भोलाराम साहू, चैतराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार साहू, बोधराम कंवर,

8. वक्तव्य

रायगढ़ जिले में उचित मूल्य की खाद्यान्न सामग्री को राशन दुकानों पर नहीं पहुंचने व अफरा-तफरी करने के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने रायगढ़ जिले में उचित मूल्य की खाद्यान्न सामग्री को राशन दुकानों पर नहीं पहुंचने व अफरा-तफरी करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

9.वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री मदनलाल साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा